



50-2-1-5

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/7/2014/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003

6<sup>th</sup> floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,

Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक 15.01.2016

To,

18.01.2016

1. The Collector,  
District Gumla,  
Jharkhand

2. The Superintendent of Police,  
District Gumla,  
Jharkhand

Sub: आदिवासी जमीन को धोखेबाजी एवं जालसाजी कर हड़पकर बेचने के संबंध में ।

Sir

I am directed to refer to this Commission's letter of even number dated 18.12.2015 on the subject and to enclose herewith a copy of the proceedings of the Sitting held in this Commission on 28.12.2015 for necessary action and to send the action taken report to the Commission urgently.

Yours faithfully,

N. (1) \_\_\_\_\_  
(N. Balasubramanian)  
Research Officer

Copy for information to:


1. The Research Officer, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Ranchi, 14, New AG Co-operative Colony, Kadaru Ranchi (Jharkhand)-834002
2. Shri George Kujur and others Village Khadiyapada, ward no. 8, Post Gumla, Dist. Gumla, Jharkhand

MINUTES OF THE SITTING HELD ON 28.12.2015 IN THE REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES, RANCHI ON THE PETITION OF SHRI GEORGE KUJUR REGARDING LAND

---

1. श्री राज कुजूर, जोन कुजूर, नेलसन कुजूर, अमोद मसीह कुजूर इन चारों के पिता-स्व० जमन उराँव, ग्राम-खडियापाडा, वार्ड नं०-8, पो० गुमला, थाना-गुमला, जिला गुमला के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में कार्यपाल दण्डाधिकारी, गुमला के द्वारा बताया कि प्रश्नगत जमीन खाता नं०-4 प्लॉट नं०-930, रकबा-2.23 डिसमीटर जमीन को गलत तरीके से श्री सामु गोप, पिता-स्व० बुचु अहीर के नाम से जमाबंदी कायम हो गया है। जाँच के क्रम में यह पाया गया है कि अवैध तरीके से आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम जमाबंदी कायम हो कर दाखिल-खारिज भी हो गया है। अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा जमाबंदी रद्द करने संबंधी जाँच प्रतिवेदन भूमि सुधार को उपलब्ध करा दिया गया है।

2. दाखिल-खारिज भूमि सुधार के न्यायलय में चल रहा है। भूमि सुधार पदाधिकारी ने प्रश्नगत स्थल का स्वयं निरीक्षण किया है। उनके अनुसार आवेदकों का जमीन पर शांतिपूर्ण दाखिल कब्जा है। अतः सामु गोप के नाम से गलत तरह से जमाबंदी को रद्द करने के संबंध में आदेश पारित किया जा चुका है।

  
(डॉ. रामेश्वर उराँव)  
अध्यक्ष

डा. रामेश्वर उराँव/Dr. RAMESHWAR ORAON  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi